

मोप्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / विभा. जांच / अपील / 2017-57/1597

भोपाल, दिनांक 04/10/2019

प्रति,

सचिव / भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति.....
जिला..... (म.प्र.)
(समस्त)

विषय :- मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 38 के अन्तर्गत अपील करने के संबंध में।

—0—

विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र.राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 38 के अन्तर्गत अनुसूची 9 (एक) में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाती है, परन्तु यह देखने में आया है कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपील निर्धारित समय सीमा में नहीं की जाती है, जबकि विनियम 38 (एक) में स्पष्ट उल्लेख है कि आदेश पारित संचालक स 30 दिवस की अवधि में ही अपील करना अनिवार्य है, और यदि किसी कारण वश अपील विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही है तो बिलंब के कारणों का अपील अस्यावेदन में स्पष्ट उल्लेख किये जाने का प्रावधान है, जिसके आधार पर अपील ग्राह्य/अग्राह्य की जा सके। उपरोक्त रिथ्ति से अपने अधिनस्त समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत कराया जावे तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जावे, ताकि नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कराई जा सके।

१५०/-
(डॉ कौदार सिंह)
अपर संचालक

मोप्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / विभा. जांच / अपील 2017-57/1598

भोपाल, दिनांक 04/10/2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- संयुक्त संचालक/उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय
(म.प्र.)
- कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग (म.प्र.)

१५०/-
अपर संचालक
मोप्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल